लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *76

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक

***76. कुंवर दानिश अली:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों' के संबंध में कुंवर दानिश अली द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *76 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की गरीबी का अलग से मूल्यांकन नहीं किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। लागू की जा रही विभिन्न योजनाएं है; प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी से संबंधित अल्पसंख्यक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी उठा सकते हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित लोगों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए शैक्षिक सशक्तीकरण, रोजगार उन्मुख कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का समर्थन आदि है। सभी योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क. शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:-

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा IX और X में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में कक्षा XI से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो।

iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- यह छात्रवृत्ति उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन, 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है। योजना में व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 85 संस्थान सूचीबद्ध है जिसके लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

ख. रोजगारोन्मुख योजनाएं:-

(i) सीखो और कमाओ (**SAK**) योजना 2013-14 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, प्रचलित आर्थिक रुझानों और बाज़ार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जो उन्हें उपयुक्त रोज़गार दिला सके या उन्हें स्व-रोज़गार अपनाने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बना सके। योजना के प्रारम्भ से अब तक 4.68 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ii) नई मंजिल योजना उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2015 में लागू की गई थी, जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है। योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा आठवीं या दसवीं) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया। योजना की शुरुआत से अब तक 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(iii) उस्ताद योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण और कुशल शिल्पकारों/कारीगरों के पारंपरिक कौशल को उन्नत करना था। योजना के प्रारंभ से अब तक 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वर्तमान में, इन योजनाओं को 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' नामक एक एकीकृत योजना में परिवर्तित कर दिया गया है।

ग. अवसंरचना विकास योजनाः-

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (**PMJVK**) - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (**PMJVK**) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करना है। पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं।

योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का विवरण **अनुबंध** में है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का देश भर में योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, योजनाओं में और बदलाव किए जाते हैं ताकि योजनाओं को और अधिक कुशल बनाया जा सके।

*****

'गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यक' कुंवर दानिश अली द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *76 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान आवंटन दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रुपये में)					
क्र.सं.	योजना	2020-21 संशोधित अनुमान	2021-22 संशोधित अनुमान	2022-23 संशोधित अनुमान	2023-24 संभावित अनुमान
1	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	1330.00	1378.00	556.82	433.00
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	535.00	468.00	515.00	1065.00
3	मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना	400.00	325.00	358.02	44.00
4	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	100.00	99.00	99.00	76.00
5	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन पर शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	22.00	24.00	24.00	21.00
6	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	25.00	39.35	29.97	20.00
7	संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता	8.00	6.00	1.68	0.00
8	अल्पसंख्यक एवं मदरसों के लिए शिक्षा योजना	0.00	174.00	30.00	5.00
9	कौशल विकास पहल	190.00	250.00	100.00	0.00
10	विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण योजना(उस्ताद)	60.00	47.00	47.00	0.00
11	नई मंजिल	60.00	47.00	20.00	0.00
12	NMDFC को इक्विटी योगदान	110.00	100.00	159.00	61.00
13	अल्पंसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना	6.00	2.50	2.00	0.00
14	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	4.00	3.00	5.00	3.00
15	हमारी धरोहर	5.20	2.00	2.00	0.00
16	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और अल्पसंख्यकों के प्रचार सहित योजना	35.00	41.00	25.00	15.00
17	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MsDP)	971.38	1199.55	500.00	293.86
18	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	80.00	76.00	0.01	0.00
19	एनएमडीएफसी की राज्य चैनालाइजिंग एजेंसी (SCA) को सहायता-अनुदान	1.00	2.00	2.00	3.00
20	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	9.00	10.00	10.00	5.00
21	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	3.00	2.00	5.00	3.00
22	सचिवालय	26.00	26.90	30.61	35.00
23	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	9.29	9.92	12.70	13.50
24	अल्पसंख्यक भाषाजात के लिए विशेष अधिकारी	2.13	2.19	2.85	2.88
25	हज प्रबंधन	13.00	12.04	75.00	86.69
26	पीएम विकास				220.00
	कुल	**4005.00**	**4346.45**	**2612.66**	**2405.93**